

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक 26.11.2021

आदेश

राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के खण्ड 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा आदेश देती है कि उक्त आदेश की अनुसूची-II में विद्यमान क्रम संख्या 7 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 8 एवं 9 एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

"8. खाद्य तेल (फिल्टर या परिष्कृत)

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. सरसों का तेल    | 8. मूंगफली का तेल             |
| 2. रेपसीड का तेल   | 9. सूरजमुखी का तेल            |
| 3. राइडा का तेल    | 10. राईसब्रान का तेल          |
| 4. तारामीरा का तेल | 11. कपास के तेल               |
| 5. तोरिया का तेल   | 12. हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल |
| 6. सोयाबीन का तेल  | 13. अलसी का तेल               |
| 7. तिल का तेल      | 14. आयातित खाद्य तेल          |

9. खाद्य तिलहन

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 1. सरसों    | 8. मूंगफली                 |
| 2. अलसी     | 9. कोई भी अन्य खाद्य तिलहन |
| 3. राइडा    | 10. आयातित तिलहन           |
| 4. तारामीरा |                            |
| 5. तोरिया   |                            |
| 6. सोयाबीन  |                            |
| 7. तिल      |                            |

यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगा।

एफ. 17(3) खा.वि./न्याय/94-iv

राज्यपाल के आदेश से

(अलका मीणा)

उपायुक्त एवं उपसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह/कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त।
7. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर (रसद), राजस्थान।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
10. उपभोक्ता मामले निदेशालय, राजस्थान के सभी अधिकारी।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक और उनके अधीन उपअधीक्षक रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार, राजस्थान।
13. समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य विभाग को भेज कर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन आज ही गजट में करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और जनसाधारण के अवलोकन के विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करें।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान से अनुरोध है कि इसे आज ही राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर 50 प्रतियां उपलब्ध कराएं।
16. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ, बी-20, चांदपोल बाजार, जयपुर।
17. गार्ड फाइल।

उपायुक्त एवं उपसचिव